



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 24 मई, 2025 / 03 ज्येष्ठ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

**AGRICULTURE DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

*Shimla-171 002 the 21st May, 2025*

**No. AGR.-B0F/16/2023.**—The Government of India has approved a dedicated central sector scheme—“Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations (FPOs)” for formation  
40—राजपत्र / 2025—24—05—2025 (2163)

of 10000 new FPOs in order to provide adequate handholding and professional support to develop economically sustainable FPOs while facilitating adequate market and credit linkages.

Under the Scheme formation of 10,000 FPOs across the country is targeted in five years period of 2019-20 till 2023-24 while providing adequate handholding to each FPO for five years from the formation for which support will continue till 2017-28. Intensive efforts will be made to form & promote at least 15% of the targeted 10,000 FPOs in aspirational districts with at least one FPO in each block of aspirational districts of the Country.

Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC), National Cooperative Development Corporation (NCDC) and National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) will serve as Implementing Agencies.

Considering the significance and strategic roles of the State Government and its machinery down the line in synergizing the efforts in mobilising the farmers, offering various services relating to production and post-production and also closely and periodically review the developmental and functioning including constraints faced by FPOs and as per provision of 14.2 of guidelines issued by the Government of India under the Formation and Promotion of farmer Producer Organizations (FPOs) scheme.

Therefore, in supersession of this department's Notification No. Agr.-B-F(10)-9/2019, dated 27-07-2020, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute the State Level Consultative Committee (SLCC) and District Level Monitoring Committee (D-MC) for the implementation of Central Sector Scheme "Formation and Promotion of Farmer Producer Organization (FPO's)" for formation of 10,000 new FPOs in order to provide adequate handholding and professional support to develop economically sustainable FPOs while facilitating adequate market and credit linkages. The composition of above Committees are as under:—

#### **State Level Consultative Committee (SLCC)**

1.	ACS/Pr. Secretary/Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P.	<i>Chairman</i>
2.	ACS/Pr. Secretary/Secretary (Horticulture) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
3.	ACS/Pr. Secretary/Secretary (Animal Husbandry) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
4.	ACS/Pr. Secretary/Secretary (Fisheries) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
5.	ACS/Pr. Secretary/Secretary (Co-operation) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
6.	ACS/Pr. Secretary/Secretary (Rural Development) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
7.	ACS/Pr. Secretary/Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of H.P.	<i>Member</i>
8.	Representative of SFAC	<i>Member</i>
9.	Representative of NCDC	<i>Member</i>
10.	Representative of NAFED	<i>Member</i>
11.	Representative of NRLM	<i>Member</i>
12.	Representative of NABARD	<i>Member</i>
13.	Convener, SLBC, Himachal Pradesh	<i>Member</i>
14.	Expert, CSKHPKV, Palampur	<i>Member</i>
15.	Expert, Dr. YSP UHF, Nauni	<i>Member</i>
16.	Director of Agriculture, H.P. Shimla-5	<i>Member-Secretary</i>

The SLCC should meet atleast once a quarter to support regularity and for effective supervision or as and when required to review the implementation of the scheme. The Chairman can nominate any other member as per requirement.

### **District Level Monitoring Committee (D-MC)**

1.	Deputy Commissioner, H.P.	<i>Chairman</i>
2.	Additional Deputy Commissioner/ADM	<i>Member</i>
3.	District Level Officer of Line Department (Animal Husbandry/Fisheries/ Marketing/Cooperation).	<i>Member</i>
4.	DDM, NABARD	<i>Member</i>
5.	Lead District Manager (LDM)	<i>Member</i>
6.	Expert from KVK, ATMA, Local Producers Organizations (3No.s)	<i>Member</i>
7.	Representative of SFAC, NCDC, NAFED, NRLM	<i>Member</i>
8.	Deputy Director of Agriculture for District Bilaspur, Chamba, Hamirpur, Kangra , Mandi, Solan, Sirmaur, Una.	<i>Member-Secretary</i>
9.	Deputy Director of Horticulture for District Kullu, Shimla, Kinnaur and Lahaul & Spiti.	<i>Member-Secretary</i>

The Chairman can nominate any other member as per requirement. If the Deputy Commissioner is busy, then the meeting will be chaired by the Additional Deputy Commissioner/ADM. The D-MC should meet at least once a quarter to support regularity and for effective supervision or as and when required to review the implementation of the scheme.

The agenda points for State Level Consultative Committee (SLCC) and District Level Monitoring Committee (D-MC) will be as under:—

#### **I. State Level Consultative Committee (SLCC)**

SLCC meetings should be held at least once a quarter to support regularity and for effective supervision. The following agenda points to be mandatorily discussed in the SLCC meetings:—

- i. An over view of the FPOs –about membership, input business, output business activities and turnover.
- ii. Status of credit linkages established for FPOs with different formal lending institutions, addressing any operational issues and challenges related to any loan application submitted or to be submitted by any FPO.
- iii. In each of the SLCC meeting, status of the licenses alongwith the dealerships & business done by the FPOs should be tabled.
- iv. Orientation & training to all the officials of the Agriculture, Agriculture Marketing & Horticulture departments all State level on FPOs as socio-economic institution of the farmers and for the departments to treat FPOs on par with PACS.
- v. Give priority to the suitable FPOs as a procurement agency under MSP and PM-AASHA operations. In this regard, revised guidelines of PM-AASHA has been circulated on 29th October, 2024.

- vi. FPOs to be given fertilizer supply by the State Government on Free on Lorry (FoL) basis.
- vii. As required, enable FPOs to avail government lands for free/subsidized rates/long term lease for setting up of required infrastructure for marketing and value addition of their produce. For reviving or for better utilization, give unused warehouses/collection centre/processing units owned and managed by Government department to FPOs for free/subsidized rates/long term lease, subject to conditions to that encourage maximization of business activities of the FPOs.
- viii. Agriculture/Horticulture/Ag. Marketing department of the States to partner with FPOs in the implementing their developmental schemes for better outreach and efficacy.
- ix. Consider eligible FPOs for rural retail outlets for sale of 'Bharat Dal' through NAFED, NCCF, etc. or any such agency in the State.
- x. General instructions for SLCC:—
  - (a) The representative of IA and CBBOs may be invited to the SLCC meetings to have the well-grounded discussion on implementation related challenges and solutions.
  - (b) Minutes of the SLCC meeting should mandatorily be circulated to all the district level officers of the line departments to make them aware of the decisions taken and to ensure that line departments comply with the decisions mentioned in the minutes, alongwith copy to the Govt. of India.
  - (c) There are various developmental schemes of the Central and State Governments which could be beneficial to the FPOs. There should be taken up for focused convergence with all the FPOs regularly.

## **II. District Level Monitoring Committee (D-MC)**

DMC meeting should be held at least once a quarter to support regularity and for effective supervision. The following agenda points to be mandatorily discussed in the DMC meetings:—

- i. An overview of the FPOs-about membership, input business, output business activities and turnover.
- ii. Assessment of current status of credit linkages established for FPOs with different formal lending institutions, addressing any operational issues and challenges related to any loan application submitted or to be submitted by any FPO within the DMC vicinity.
- iii. Fast-track application process of Seed, Fertilizer, Pesticide, APMC Mandi, GST, PAN and Trade license, etc. as required. In each of the D-MC meetings a table of the status of the licenses and dealership is shared with all the members present in these meetings.
- iv. Orientation & training to all the officials of the Agriculture, Agriculture Marketing & Horticulture departments al District & field level on FPOs as a socio-economic institution of the farmers and for the departments to treat FPOs on par with PACS.

- 
- v. Give priority to the suitable FPOs to act as procurement agency under MSP and PSS operations.
  - vi. As required, help FPOs avail access to common/government lands for free or subsidized rates or on long term lease for setting up of required infrastructure for marketing and value addition of their produce. For reviving or for better utilization, give unused warehouses/collection centre/processing units owned and managed by Government department to the suitable FPOs for free /subsidized rates/long term lease.
  - vii. General instructions for D-MCs:—
    - (a) The CEO and one Director from each FPO from the concerned district may be invited to the D-MC meetings to have the well-grounded discussion on implementation related issues.
    - (b) Minutes of the DMC meeting should mandatorily be circulated to all the district level officers of the concerned line departments to make them aware of the decisions made and to ensure that line departments comply with the decisions mentioned in the minutes.
    - (c) Awareness campaign on various government schemes that can benefit the FPOs.
    - (d) Though LDM is a member of the DMC. However, to ensure institutional credit access to the FPOs, in every meeting, branch-head of a bank may also be invited to the meeting. Different banks can be called to these meeting in tandem. Bankers should also inform about various scheme/ products and handhold the FPOs to address the financial challenges and risks related to their business.
    - (e) In case where IA does not have any presence at the district level, any one CBBO working in the district may be appointed as a representative of the IA and attend the D-MC meetings.

By order,

*Secretary (Agriculture).*

---

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 22nd May, 2025*

**No. TPT-A(1)-1/2023-Vol-III.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Negotiation Committee in Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation, H.P. Ltd. under the Chairmanship of Sub-Divisional Magistrate of the concerned area for acquisition of land through negotiations for development of Ropeway projects throughout the State of Himachal Pradesh consisting of the following members with immediate effect in public interest :—

1.	Sub-Divisional Magistrate of concerned area	<i>Chairman</i>
2.	Deputy General Manager, RTDC	<i>Member</i>
3.	Divisional Forest Officer, RTDC	<i>Member</i>
4.	Manager (RW), RTDC	<i>Member</i>
5.	Assistant Manager (Finance), RTDC	<i>Member</i>

The above Committee will examine the feasibility of the location, negotiate with respective land owner and arrive at the final acquisition cost in line with the State Government policy and in accordance with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCLARR) Act, 2013 (30 of 2013).

**This has the approval of Hon'ble Deputy Chief Minister, Himachal Pradesh.**

By order,

R.D. NAZEEM, IAS,  
*Additional Chief Secretary (Transport).*

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04—06—2025

निखिल पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी गांव गन्डड व डाकघर मरेरा एवं उप—तहसील आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता मोहाल गन्डड एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल गन्डड एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निखिल पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी गांव गन्डड व डाकघर मरेरा एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके दादा का सही नाम वफा राम है परन्तु महाल गन्डड के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम जगर नाथ है जोकि गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दादा का नाम अन्य दस्तावेजों पर वफा राम अंकित है। प्रार्थी महाल गन्डड व उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० के राजस्व रिकॉर्ड में अपने दादा के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के दादा का नाम वफा राम उपनाम जगर नाथ दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 04—06—2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

---

आज दिनांक 05—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

---

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

तारीख पेशी : 04—06—2025

वीना देवी पुत्री श्री वक्शी राम, निवासी गांव कुहण उपरली, डाकघर कुहण एवं उप—तहसील आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता निवासी गांव कुहण उपरली, डाकघर कुहण एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा  
(हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी कुहण उपरली, डाकघर कुहण एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा  
(हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में वीना देवी पुत्री श्री वक्शी राम, निवासी गांव कुहण उपरली, डाकघर कुहण  
एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म  
दिनांक 01—01—1973 को गांव कुहण उपरली, डाकघर कुहण, उप—तहसील आलमपुर में हुआ है। लेकिन वह  
अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुहण में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे अब दर्ज करवाना  
चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को  
प्रार्थिया वीना देवी पुत्री वक्शी राम के जन्म दिनांक 01—01—1973 को ग्राम पंचायत कुहण में पंजीकरण करने  
में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकदमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी  
04—06—2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता  
है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

---

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

तारीख पेशी : 04—06—2025

बिन्ता देवी पुत्री ओम देवी, निवासी गांव भेड़ी उपरली व डाकघर भेड़ी मौजा एवं उप—तहसील  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

## बनाम

आम जनता मोहाल भेड़ी उपरली एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल भेड़ी उपरली एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में बिन्ता देवी पुत्री ओम देवी, निवासी गांव भेड़ी उपरली व डाकघर भेड़ी मौजा एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी माता का सही नाम ओम देवी है, परन्तु महाल भेड़ी उपरली के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम मान देवी है। जोकि गलत है। जबकि प्रार्थिया की माता का नाम अन्य दस्तावेजों पर ओम देवी अंकित है। प्रार्थी महाल भेड़ी उपरली व उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० के राजस्व रिकार्ड में आपने माता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की माता का नाम ओम देवी उपनाम मान देवी दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04—06—2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 04—06—2025

नीलम देवी पुत्री श्री मनी राम, निवासी गांव व डाकघर लाहडु एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

## बनाम

आम जनता गांव व डाकघर लाहडु एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव व ड० लाहडु एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में नीलम देवी पुत्री श्री मनी राम, निवासी गांव व डाकघर लाहडु एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 23—03—1974 को गांव व डाकघर लाहडु, उप—तहसील आलमपुर में हुआ है। लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत लाहडु में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया नीलम देवी पुत्री मनी राम के जन्म दिनांक 23—03—1974 को ग्राम पंचायत लाहडु में पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी

04–06–2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 14–06–2025

बलवीर चन्द पुत्र स्व0 श्री प्रभु, निवासी गांव व डाकघर साई एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता मोहाल साई एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल साई एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में बलवीर चन्द पुत्र स्व0 श्री प्रभु, निवासी गांव व डाकघर साई एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम बलवीर चन्द है परन्तु महाल साई के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वीर चन्द है जोकि गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों पर बलवीर चन्द अंकित है। प्रार्थी महाल साई व उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम वीर चन्द उपनाम बलवीर चन्द दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकदमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 14–06–2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 14–06–2025

चन्द लाल पुत्र श्री टीट राम, निवासी गांव व डाकघर अप्पर लम्बागांव एवं तहसील जयसिंहपुर, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

## बनाम

आम जनता मोहाल बरडाम खुर्द, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल बरडाम खुर्द, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में चन्द लाल पुत्र श्री टीट राम, निवासी गांव व डाकघर अपर लम्बागांव एवं तहसील जयसिंहपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम चन्द लाल है परन्तु महाल बरडाम खुर्द के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम चन्दू राम है जोकि गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों पर चन्द लाल अंकित है। प्रार्थी महाल बरडाम खुर्द, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम चन्द लाल उपनाम चन्दू राम दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 14-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

तारीख पेशी : 14-06-2025

ज्ञान चन्द पुत्र श्री रूलीया राम, निवासी गांव भेड़ी उपरली व डाकघर भेड़ी एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

## बनाम

आम जनता गांव भेड़ी उपरली व डाकघर भेड़ी एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव भेड़ी उपरली व डाकघर भेड़ी एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ज्ञान चन्द पुत्र श्री रूलीया राम, निवासी गांव भेड़ी उपरली व डाकघर भेड़ी एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 06-11-2017 को गांव भेड़ी उपरली व डाकघर भेड़ी, उप-तहसील आलमपुर में हुई है लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बालकरूपी में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी दर्ज अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी ज्ञान चन्द पुत्र श्री रूलीया राम की माता की मृत्यु दिनांक 06-11-2017 को ग्राम पंचायत बालकरूपी में

पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकदमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 14–06–2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

किस्म मुकदमा: तकसीम

किरण कुमारी पत्नी श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्रताप चंद, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

1. प्रकाश चंद, 2. जीवन सिंह पुत्र मोहन लाल पुत्र महलू, निवासी महाल टिकरी, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं० 93, खतौनी नं० 135, खसरा नम्बर 534/273, 535/273, 536/274, 537/274, 354, 427, 440, 447, 448, कित्ता 9, रकबा तादादी 00–76–70 है० वाकया महाल टिकरी, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

प्रार्थना पत्र : प्रार्थिया किरण कुमारी पत्नी श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्रताप चंद, निवासी गांव व डाकखाना सिधवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र० ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें प्रतिवादीगण समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्त्री मुनादी/इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06–06–2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर ने आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 07–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Kuldeep Chand s/o Fathuri Ram, r/o V.P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

*Versus*

General Public

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता:

Sh. Kuldeep Chand s/o Fathuri Ram, r/o V.P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे चाचा जी की मृत्यु 31-12-2014 को हुई है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Rasila Ram s/o Chet Ram की मृत्यु को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 10-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र मृत्यु दिनांक 31-12-2014 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Lhundup Jinpa s/o Dhondup, resident of c/o Karchung 181A, Ward No. 5, Village Gamru, P.O. & Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

*Versus*

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Lhundup Jinpa s/o Dhondup, resident of c/o Karchung 181A, Ward No. 5, Village Gamru, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित

मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15–01–1979 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Lhundup Jinpa s/o Dhondup के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10–06–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि 15–01–1979 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Lobsang Gyatso s/o Yunten c/o Ratoe Chuwar Labrang Session Road Dharamshala  
P/A House No. 1, Sera Jey Monastery, Peryapatna Bylakuppe Mysuru, Distt. Karnataka.

*Versus*

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता:

Sh. Lobsang Gyatso s/o Yunten c/o Ratoe Chuwar Labrang Session Road Dharamshala P/A House No. 1, Sera Jey Monastery, Peryapatna Bylakuppe Mysuru, Distt. Karnataka ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 04–02–1982 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Lobsang Gyatso s/o Yunten के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10–06–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि 04–02–1982 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Lobsan Dhndup s/o Phun Ka c/o Ratoe Chuwar Labrang Session Road Dharamshala  
P/A House No. 5, Sera Jhe, Tehor Mysore Mysuru, Distt. Karnataka.

*Versus*

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता:

Sh. Lobsan Dhndup s/o Phun Ka c/o Ratoe Chuwar Labrang Session Road Dharamshala  
P/A House No. 5, Sera Jhe, Tehor Mysore Mysuru, Distt. Karnataka ने इस अदालत में शपथ—पत्र  
सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 04—06—1978 को हुआ है परन्तु ऐसो सी०  
धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये  
जायें। इस नोटिस के द्वारा समर्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि  
किसी को Lobsan Dhondup s/o Phun Ka के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह  
हमारी अदालत में दिनांक 10—06—2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर  
सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 04—06—1978 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर  
दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24—04—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/2025

Smt. Urmila Devi d/o Doulat Ram, r/o Village Maned, P.O. Chatru, Tehsil Dharamshala,  
District Kangra (H.P.).

*Versus*

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता:

Smt. Urmila Devi d/o Doulat Ram, r/o Village Maned, P.O. Chatru, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15—03—1964 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Urmila Devi d/o Doulat Ram के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10—06—2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 15—03—1964 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24—04—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Tsering Dhongam s/o Nyanga c/o Chuwar Labrang Session Road Dharamshala P/A House No. 1, Sera Jey Monastery, Tehor Khangtsen Periyapatna Mysuru, Distt. Karnataka.

*Versus*

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

Sh. Tsering Dhongam s/o Nyanga c/o Chuwar Labrang Session Road Dharamshala P/A House No. 1, Sera Jey Monastery, Tehor Khangtsen Periyapatna Mysuru, Distt. Karnataka ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20—10—1978 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tsering Dhongam s/o Nyanga के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10—06—2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 20—10—1978 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24—04—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Lobsang Rinchen s/o Wangchuk, r/o Shop No. 102, Bhagsu Road, P.O. Mcleodganj,  
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

*Versus*

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

Sh. Lobsang Rinchen s/o Wangchuk, r/o Shop No. 102, Bhagsu Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 08—03—1975 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Lobsang Rinchen s/o Wangchuk के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10—06—2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 08—03—1975 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Tsing Dorjee s/o Sonam Phuntsok, r/o Men Tsee Khang, Tibetan Medical & Astro Institute Road, Gangchen Kyishong CTA Dharamshala, District Kangra (H.P.).

*Versus*

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता:

Sh. Tsering Dorjee s/o Sonam Phuntsok, r/o Men Tsee Khang, Tibetan Medical & Astro Institute Road, Gangchen Kyishong CTA Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1979 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tsering Dorjee s/o Sonam Phuntsok के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 01-07-1979 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड़भड़ोल,  
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नंबर 36 / 2025

तारीख मरजुआ : 08-05-2025

तारीख पेशी : 28-05-2025

श्रीमती सुमन राणा पुत्री श्री सोहन सिंह पुत्र निहाला उपनाम निहाल सिंह, निवासी मोहाल पिहड़ बेहड़लू, डाकघर बसौना, तहसील लड़भड़ोल, जिला मण्डी हि०प्र० प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकदमा में प्रार्थिया श्रीमती सुमन राणा पुत्री श्री सोहन सिंह पुत्र निहाला उपनाम निहाल सिंह, निवासी पिहड़ बेहड़लू, डाकघर बसौना, तहसील लड़भड़ोल, जिला मण्डी हि०प्र० ने इस अदालत में दिनांक 08-05-2025 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम श्रीमती सुमन राणा है, जोकि प्रार्थिया के परिवार नकल, आधार कार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल पिहड़, सौं व बाहडू में गायत्री देवी दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, आधार कार्ड, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल पिहड़, सौं व बाहडू तहसील लड़भड़ोल, जिला मण्डी, हि०प्र० में प्रार्थिया का नाम गायत्री देवी के स्थान पर गायत्री देवी उपनाम सुमन राणा दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-05-2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड्भड़ोल,  
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नंबर 37 / 2025

तारीख मरजुआ : 08-05-2025

तारीख पेशी : 28-05-2025

श्री पंजाबा राम पुत्र श्री सोहन सिंह पुत्र निहाला उपनाम निहाल सिंह, निवासी मोहाल पिहड़ बेहड़लू  
डाकघर बसौना, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी हि० प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरख्यास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवानवाला मुकदमा में प्रार्थी श्री पंजाबा राम पुत्र श्री सोहन सिंह पुत्र निहाला उपनाम निहाल सिंह, निवासी मोहाल पिहड़ बेहड़लू, डाकघर बसौना, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी हि० प्र० ने इस अदालत में दिनांक 08-05-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम पंजाबा राम है, जोकि प्रार्थी के परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल सौं व बाहड़ू में टेक पंजाब सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवहन पत्र तलबाना, आधार कार्ड, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मोहाल, सौं व बाहड़ू, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी, हि०प्र० में प्रार्थी का नाम पंजाब सिंह के स्थान पर पंजाब सिंह उपनाम पंजाबा राम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-05-2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लड्भड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड्भड़ोल,  
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नंबर 38 / 2025

तारीख मरजुआ : 08-05-2025

तारीख पेशी : 28-05-2025

श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० श्री रोशन लाल पुत्र विशनू निवासी मोहाल अमेहड़, डाकघर बसौना, तहसील लड्भड़ोल, जिला मण्डी, हि० प्र० प्रार्थिया।

## बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० श्री रोशन लाल पुत्र विश्नू निवासी मोहाल अमेहड़, डाकघर बसौना, तहसील लड्भडोल, जिला मण्डी हि० प्र० ने इस अदालत में दिनांक 08-05-2025 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पति का नाम रोशन लाल है, जोकि प्रार्थिया के परिवार नकल, आधार कार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल अमेहड़ में डागी राम दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में आवहन पत्र तलबाना, आधार कार्ड, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने पति के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल अमेहड़, तहसील लड्भडोल, जिला मण्डी, हि०प्र० में प्रार्थिया के पति का नाम डागी राम के स्थान पर डागी राम उपनाम रोशन लाल दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-05-2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लड्भडोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर, जिला मण्डी,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 38 / 2025

तारीख मजरूआ : 07-05-2025

तारीख पेशी : 13-06-2025

देवी रूप पुत्र श्री केसरू राम, निवासी गांव तरोहू, डाकघर अरढा (नसलोह), तहसील सदर, जिला मण्डी (हि०प्र०) देवी रूप पुत्र श्री केसरू राम, निवासी गांव तरोहू, डाकघर अरढा (नसलोह), तहसील सदर, जिला मण्डी (हि०प्र०) प्रार्थी।

## बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू—राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

देवी रूप पुत्र श्री केसरू राम, निवासी गांव तरोहू डाकघर अरढा (नसलोह), तहसील सदर, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार नकल व स्कूल प्रमाण—पत्र में देवी रूप दर्ज है जोकि सही है लेकिन मुहाल अरढा में मेरा नाम गुलेर सिंह दर्ज है तथा मुहाल तवेला शकोर में मेरा नाम गुलेर उपनाम देवी रूप दर्ज है जबकि मुझे देवी रूप व गुलेर सिंह दोनों नामों से जाना व पुकारा जाता है। राजस्व रिकार्ड में नाम भिन्न होने से मुझे बहुत सी समस्याओं का सामना

करना पड़ रहा है जिसे अब मैं दुरुस्त करवाना चाहता हूं। अतः मेरा महोदय से निवेदन है कि मुहाल अरढ़ा तथा तवेला शकोर में मेरा नाम गुलेर सिंह उपनाम देवी रूप दर्ज करने के आदेश किये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम दुरुस्त किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 13–06–2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 13–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार मण्डी, जिला मण्डी,**  
**हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 39 / 2025

तारीख मजरुआ : 18–03–2025

तारीख पेशी : 13–06–2025

श्रीमती मोनिका कुमारी पत्नी श्री रंजन कुमार शर्मा, गांव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे इश्तहार/मुश्त्री, मनादी जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मोनिका कुमारी पत्नी श्री रंजन कुमार शर्मा, गांव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि मेरे बेटे का नाम हिमांक शर्मा पुत्र श्री रंजन कुमार शर्मा है व मेरे बेटे का जन्म 26–08–2022 को गांव व डाकघर मराथू में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश/अनजाने में इसे हम ग्राम पंचायत मराथू के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के बेटे का नाम हिमांक शर्मा पुत्र श्री रंजन कुमार शर्मा की जन्म तिथि 26–06–2022 को ग्राम पंचायत मराथू के जन्म रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 13–06–2025 को प्रातः 10.00 बजे से पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 13–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर, जिला मण्डी,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 40 / 2025

तारीख मजरुआ : 14-05-2025

तारीख पेशी : 17-06-2025

सन्त सिंह पुत्र श्री लेख राम पुत्र श्री चुहड़ा, गांव कठलग, डाकघर पधीयूं तहसील सदर, जिला मण्डी  
(हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू—राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

सन्त सिंह पुत्र श्री लेख राम पुत्र श्री चुहड़ा, गांव कठलग, डाकघर पधीयूं तहसील सदर, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि मोहाल कठलग, पटवार वृत्त पधीयूं में मेरे पिता का नाम लेख राम पुत्र चुहड़ा पुत्र गंगू लिखा गया है जोकि सत्य व सही है परन्तु मुहाल जोला/353 व चाम्बी/352 में क्रमशः सुमा व रोड़ा दर्ज है जोकि गलत है। राजस्व रिकार्ड में नाम भिन्न होने से मुझे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसे अब मैं दुरुस्त करवाना चाहता हूं। अतः मेरा महोदय से निवेदन है कि मुहाल जोला/353 व चाम्बी/352 में मेरे पिता का सही नाम श्री लेख राम पुत्र श्री चुहड़ा पुत्र श्री गंगू दर्ज करने के आदेश किये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 17-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 14-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

**Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,  
District Solan, Himachal Pradesh**

Case No.  
07/2025

Date of Institution  
19-02-2025

Date of Decision  
25-05-2025

Sh. Kamal Deep Singh s/o Inder Pal Singh, r/o Village Khilverser, Post Office Kumarhatti,  
Tehsil & District Solan H.P. . .Applicant.

*Versus*

General Public

. .Respondents.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Sh. Kamal Deep Singh s/o Inder Pal Singh, r/o Village Khilverser, Post Office Kumarhatti, Tehsil & District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 06-09-1989 at Village Sanwara, Post Office Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. but his date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Sanwara, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, Himachal Pradesh within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Births & Deaths Registration of Gram Panchayat Sanwara for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Kamal Deep Singh s/o Inder Pal Singh may submit their objections in writing in this court on or before 25-05-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of April, 2025.

Seal.

Sd/-  
(JAGPAL SINGH)  
*Executive Magistrate (Tehsildar),  
Kasauli, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar) Solan,  
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Shri Raj Kumar son of Late Shri Ram Singh, permanent r/o Village Chingad Rural, District Surkhet, NEPAL . . .Applicant.

*Versus*

General Public

. . .Respondent.

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.*

**PROCLAMATION**

Whereas, the applicant Shri Raj Kumar son of Late Shri Ram Singh, permanent r/o Village Chingad Rural, District Surkhet, NEPAL has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering his delayed date of birth i.e. 05-06-1984 and place of birth at r/o Village Kawgari, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of M.C. Solan, Tehsil & Distt. Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Shri Raj Kumar son of Shri Ram Singh & Smt. Pankali, may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 04-06-2025 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL),  
Executive Magistrate-cum-( Tehsildar),  
Solan, District Solan (H. P.).

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar) Solan,  
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Shri Raju s/o Shri Gayano, permanent r/o Village Dang, Ward No. 6, District Dang, Rapti Anchal, NEPAL . .Applicant.

*Versus*

General Public . .Respondent.

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.*

**PROCLAMATION**

Whereas, the applicant Shri Raju s/o Shri Gayano, permanent r/o Village Dang, Ward No. 6, District Dang, Rapti Anchal, NEPAL has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering his Child delayed date of birth i.e. 17-10-2021 and place of birth at c/o Smt. Sharda, r/o Ward No. 07, Dhobighat, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.), but his child date of birth could not be entered in the record of M.C. Solan, Tehsil & Distt. Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Vivek s/o Shri Raju & Smt. Kalpana may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 04-06-2025 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL),  
Executive Magistrate-cum-( Tehsildar),  
Solan, District Solan (H. P.).

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar) Solan,  
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Sampa Devi d/o Late Shri Hari Dass, r/o Village Dhar Brhamna, Post Office Bharti,  
Tehsil & District Solan (H.P.) . .Applicant.

*Versus*

General Public . .Respondent.

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.*

**PROCLAMATION**

Whereas, the applicant Smt. Sampa Devi d/o Late Shri Hari Dass, r/o Village Dhar Brhamna, Post Office Bharti, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering her delayed date of birth i.e. 05-06-1978 and place of birth at Village Dhar Brahmna, Post Office Bharti, Tehsil & District Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in the record of G.P. Bharti, Tehsil & Distt. Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Sampa Devi d/o Shri Hari Dass & Smt. Kaushalya Devi may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 04-06-2025 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of May, 2025.

Seal.

Sd/-  
(MULTAN SINGH BANYAL),  
*Executive Magistrate-cum-( Tehsildar),  
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar) Solan,  
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Shri Tej Pal Rawat s/o Shri Inder Bahadur Rawat, r/o Village Madi, Post Office Treveni,  
District Rolpa, Ward No. 4, NEPAL . .Applicant.

*Versus*

General Public . .Respondent.

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.*

### PROCLAMATION

Whereas, the applicant Shri Tej Pal Rawat s/o Shri Inder Bahadur Rawat, r/o Village Madi, Post Office Treveni, District Rolpa, Ward No. 4, NEPAL has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering his delayed date of birth i.e. 13-04-1983 and place of birth at r/o Village Nagali, P.O. Barog, Tehsil & District Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of G.P. Anji, Tehsil & Distt. Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Shri Tej Pal Rawat s/o Shri Inder Bahadur Rawat & Smt. Ram Kali may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 04-06-2025 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of May, 2025.

Seal.

Sd/-  
 (MULTAN SINGH BANYAL),  
*Executive Magistrate-cum-(Tehsildar),  
 Solan, District Solan (H. P.).*

**सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर,  
 जिला शिमला (हि० प्र०)**

मिसल नं० :	तारीख मरजुआ :	उप-तहसील :	जिला
28 / 2025	09—04—2025	सरस्वतीनगर	शिमला

श्रीमती भावना देवी उर्फ रीमा देवी पत्नी स्व० श्री भोपिन्दर सिंह, निवासी गांव व डा० करासा, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०) रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०) वादिया।

बनाम

आम जनता

दरख्बास्त नाम दुरुस्ती सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल/उप-महाल भंवा, पटवार वृत्त ढाड़ी-घुंसा में सही दर्ज कराने बारे।

यह दरख्बास्त श्रीमती भावना देवी उर्फ रीमा देवी पत्नी स्व० श्री भोपिन्दर सिंह, निवासी गांव व डा० करासा, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया महाल/उप-महाल भंवा, पटवार वृत्त ढाड़ी-घुंसा में मलकियत आराजी है जिसमें प्रार्थिया का नाम रीमा देवी है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्वयं सत्यापित व्यान हल्किया की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया अपना नाम उपरोक्त वाका चक महाल/उप-महाल भंवा के मालकागजात में रीमा देवी के स्थान पर भावना देवी उर्फ रीमा देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम वाका चक महाल/उप-महाल भंवा, पटवार वृत्त ढाड़ी-घुन्सा, उप-तहसील सरस्वती नगर के मालकागजात में रीमा देवी के स्थान पर भावना देवी उर्फ रीमा देवी दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-05-2025 को दोपहर 2.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 25-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हिं0प्र0)।

## CHANGE OF NAME

I, Droupadi Devi Aadhar Card No. 9367 0994 2075 w/o Late Sh. Dila Ram, r/o Village Kulah, P.O. Swarghat, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) have changed my name from "Dropati Devi" to "Droupadi Devi".

DROUPADI DEVI  
*w/o Late Sh. Dila Ram,  
r/o Village Kulah, P.O. Swarghat,  
Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).*

## CORRECTION OF NAME

I, Bhagwanti w/o Sh. Gurdyal Singh, r/o Village Plankhwala, P.O. Brotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.)-174 103, declare that my name is Bhago Devi entered in my Aadhar Card, whereas in other Government Documents my name is Bhagwanti. Bhagwanti and Bhago Devi are the same woman. This should be corrected. All concerned please may note.

BHAGWANTI  
*w/o Sh. Gurdyal Singh,  
r/o Village Plankhwala, P.O. Brotiwala,  
Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).*

## CHANGE OF NAME

I, Hira Oli (New Name) d/o Sh. Vir Bahadur aged about 22 years, r/o Village Dhamandri Shawag (302), Shimla (H.P.)-171 209, declare that I have changed my name from Reeta (Previous Name) to Hira Oli (New Name). All concerned please may note.

HIRA OLI  
*d/o Sh. Vir Bahadur,  
r/o Village Dhamandri Shawag (302), Shimla (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Fula Devi w/o Sh. Dinesh Malhotra, r/o H.No. 108/6, Lower Samkhetar Mandi, Tehsil Sadar, P.O. Mandi, District Mandi (H.P.) declare on an oath that in Aadhar Card, PAN Card and in other documents my name has been wrongly entered as Jyoti Malhotra. In all documents it should be entered as Fula Devi. Concerned please note.

FULA DEVI  
*w/o Sh. Dinesh Malhotra, r/o H.No. 108/6,  
Lower Samkhetar Mandi, Tehsil Sadar,  
P.O. Mandi, District Mandi (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Sumethra Devi w/o Sh. Paras Ram, r/o Village Tikkar, P.O. Dudhana, Sub-Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Savitri Devi to Sumethra Devi for all purposes in future. Please note.

SUMETHRA DEVI  
*w/o Sh. Paras Ram,  
r/o Village Tikkar, P.O. Dudhana,  
Sub-Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Lubhi Devi w/o Late Sh. Thakru Ram, r/o Village Dadhei, P.O. and Sub-Tehsil Jari, District Kullu (H.P.) declare that my correct name is Lubhi Devi whereas in Aadhar Card and PAN Card my name is written as Lobhi Devi which is incorrect. I want to correct my name as Lubhi Devi instead of Lobhi Devi in Aadhar Card and PAN Card.

LUBHI DEVI  
*w/o Late Sh. Thakru Ram,  
r/o Village Dadhei,  
P.O. and Sub-Tehsil Jari, District Kullu (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Moh Sameer s/o Moh. Shkeel, r/o Village Rajhana, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Mohammad Sameer which is required to be corrected as Moh Sameer. Please correct this.

MOH SAMEER  
*s/o Moh. Shkeel,  
r/o Village Rajhana,  
Tehsil & District Shimla (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Kashmiro Devi w/o Sh. Sarwan Singh, r/o Village Mangroli, P.O. Bani, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kashmiri Devi to Kashmiro Devi for all purposes in future. Please note.

KASHMIRO DEVI  
*w/o Sh. Sarwan Singh,  
r/o Village Mangroli, P.O. Bani,  
Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Geeta Khadka (New Name) w/o Sh. Bir Bahadur Khadka, Tharola (83), SPO Tharola, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Geeta (Old Name) to Geeta Khadka (New Name). All concerned please may note.

GEETA KHADKA  
*w/o Sh. Bir Bahadur Khadka,  
Tharola (83), SPO Tharola, District Shimla (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Monika (New Name) d/o Sh. Bishan Dass, r/o Labour Hostel, Near Gurudwara, Sikh Line, Krishna Nagar, Shimla-1 (H.P.) declare that I have changed my name from Paramjeet Kaur (Previous Name) to Monika (New Name). All concerned please may note.

MONIKA  
*d/o Sh. Bishan Dass,  
r/o Labour Hostel, Near Gurudwara,  
Sikh Line, Krishna Nagar, Shimla-1 (H.P.).*

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Karan Kaur w/o Sh. Balwant Singh, r/o Village Dhang Nichli, P.O. Plassi Kalan, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that my correct name is Karan Kaur but wrongly recorded as Karmo in my Aadhar Card. Now, I want to get my name corrected as Karan Kaur in my Aadhar Card.

KARAN KAUR  
*w/o Sh. Balwant Singh,  
r/o Village Dhang Nichli, P.O. Plassi Kalan,  
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).*

### CHANGE OF NAME

I, Sonu w/o Sh. Devinder Singh, r/o Village Chothi, P.O. Chanair, Sub-Tehsil Deha, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.)-171 220 declare that I have changed my name from Sonu (Previous Name) to Sanu (New Name). All concerned please may note.

SONU  
*w/o Sh. Devinder Singh,  
r/o Village Chothi, P.O. Chanair,  
Sub-Tehsil Deha, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).*

### CHANGE OF NAME

I, Bir Bahadur Khadka (New Name) s/o Sh. Mohavir Khadka, Dholona, Tharola (83), SPO Tharola, District Shimla declare that I have changed my name from Biru (Old Name) to Bir Bahadur Khadka (New Name). All concerned please may note.

BIR BAHADUR KHADKA  
*s/o Sh. Mohavir Khadka,  
Dholona, Tharola (83), SPO Tharola, District Shimla (H.P.).*

### CHANGE OF NAME

I, Tiki Devi d/o Sh. Amar Chand at present w/o Tirath Ram, r/o Village Chatani, P.O. Neoli, Tehsil & District Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Guddi Devi to Tiki Devi for all future purposes. Concerned note it.

TIKI DEVI  
*d/o Sh. Amar Chand  
w/o Tirath Ram, r/o Village Chatani,  
P.O. Neoli, Tehsil & District Kullu (H.P.).*

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

**STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH**

आर्मसडेल, शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152  
Email:secysec-hp@nic.in

### NOTIFICATION

*Dated, the 24th May, 2025*

**No. SEC:13-90/2016-V-1755.**—The State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243ZA of the Constitution of India, Section 9 and 10 of the H.P.

Municipal Corporation Act, 1994 and Section 10 and 281 of the H.P. Municipal Act, 1994 read with Rules 6 and 10 of the H.P. Municipal Corporation Election Rules, 2012 and the H.P. Municipal Election Rules, 2015 hereby issues the following program for delimitation of wards of Urban Local Bodies in the State (excluding Municipal Corporation Shimla):—

<b>Sl. No.</b>	<b>Process</b>	<b>Date</b>
1.	Publication of draft proposal for delimitation of wards.	2nd June, 2025
2.	Submission of objections or suggestions by the residents of the Municipal area.	By 9th June, 2025
3.	Disposal of objections or suggestions by the Deputy Commissioners.	By 16th June, 2025
4.	Filing of appeals against the orders of the Deputy Commissioner before concerned Divisional Commissioners.	Within 7 days from the passing of the orders by the Deputy Commissioner.
5.	Disposal of appeal by the Divisional Commissioner	Within 5 days from the filing of appeal.
6.	Issue of final delimitation orders by the Deputy Commissioner.	On or before 1st July, 2025
7.	Reservation of seats shall be undertaken	By 11th July, 2025
8.	Submission of report of final reservation order by the Government to Commission.	15th July, 2025

If no objection is received or no appeal is filed within stipulated period, the concerned Deputy Commissioner may issue final de-limitation orders and start process for reservation and rotation of wards. After finalization of de-limitation and reservation of wards, order to this effect should immediately be sent to the Government by the Deputy Commissioner concerned as required under Sub-Rule 11 of the Rule 10, so that the Government may provide a copy of the final reservation order to the Commission in accordance with Rule 11 of the Rules *ibid*.

By order,

Sd/-  
 (ANIL KUMAR KHACHI),  
*State Election Commissioner,  
 Himachal Pradesh.*